

मैनुअल संख्या: 14 [धारा 4(1)(ख)(xiv)]

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

(1) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण :-

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेख रखे गये है।	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1	आयोग में पारित टैरिफ आदेश की सूची (वर्ष वार)	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
2	आयोग द्वारा गजट में अधिसूचित किये गये विनियम	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
3.	आयोग द्वारा पारित आदेश	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
4.	उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच एवं ओम्बड्समैन कार्यालय का पता एवं दूरभाष	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
5.	सुनवाई की तिथि का विवरण	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
6	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु जारी मैनुअल पुस्तिका	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से
7.	सामान्य जन-सूचना, निविदा, नोटिस इत्यादि।	वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in पर	इण्टरनेट अथवा आयोग कार्यालय से

(2) दस्तावेज/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी का नाम/शीर्षक :-

वांछित विवरण उपरोक्त पैरा में निहित है।

(3) स्थान जहां उपलब्ध हों :-

वांछित विवरण उपरोक्त पैरा में निहित है।